2023/144

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट
श्री महेन्द्र परिहार निवासी 2डी/144, हाउसिंग बोर्ड आकराभट्टा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 39 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.08.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को दिनांक 13.06.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि नगरपालिका आबूरोड द्वारा पट्टा संख्याः नियमन आवंटित/2000/115 दिनांक 06.11.2000 को अपीलार्थी के दादा के नाम से पट्टा जारी किया गया है। अपीलार्थी की आवासीय भूमि पर उक्त पट्टे के अलावा कितने पट्टे या रजिस्ट्री किन–किन नाम से व कितनी की गई है व उक्त भूखण्ड पर कितने लोगों का स्वामित्व है एवं उक्त भूखण्ड पर नवीन पट्टा जारी करवाने हेतु पट्टाधारक ने किसी भी प्रकार की कोई एन.ओ.सी. ली है। उक्त सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को दिनांक 13.06.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि नगरपालिका आबूरोड द्वारा पट्टा संख्याः नियमन आवंटित/2000/115 दिनांक 06.11.2000 को अपीलार्थी के दादा के नाम से पट्टा जारी किया गया है। अपीलार्थी की आवासीय भूमि/भूखण्ड पर उक्त पट्टे के अलावा कितने पट्टे या रजिस्ट्री किन–किन नाम से व कितनी की गई है व उक्त भूखण्ड पर कितने लोगों का स्वामित्व है एवं उक्त भूखण्ड पर नवीन पट्टा जारी करवाने हेतु पट्टाधारक ने किसी भी प्रकार की कोई एन.ओ.सी. ली है। उक्त सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Bhallao (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner